न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 13/2018

जीसीएमएस नम्बर : 2018/00142

प्रार्थीगण:–

1. छोटी पत्नी बाबु खां
2. अमजद खां पुत्र बाबु खां
3. इन्साफ खां पुत्र बाबु खां
4. इरफान खां पुत्र बाबु खां

जातिगण रंगरेज मुसलमान
निवासीगण कण्टालिया तहसील मारवाड जंक्शन

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. संजय कुमार पुत्र पारसमल जाति जैन निवासी कण्टालिया जरिये मुख्त्यार राकेश पुत्र पुखराज जाति सेवग निवासी कण्टालिया
2. सरपंच ग्राम पंचायत कण्टालिया
3. सचिव ग्राम पंचायत कण्टालिया

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश आर्य।

–: निर्णय :–

दिनांक : 3.6.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत कण्टालिया द्वारा मिसल संख्या 18/2002–03 संकल्प संख्या 11 दिनांक 20.11.2004 की पालना में अप्रार्थी संजय कुमार पुत्र पारसमल जैन के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 5531 दिनांक 22.12.2004 के विरूद्ध पेश की है। नगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 वक्त बहस अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि मौजा कण्टालिया में रंगरेजो के बास में प्रार्थीगण का पुश्तैनी स्वामित्व की आराजी है जिसके पडौस पूर्व दिशा में गली, पश्चिम दिशा में मोची रतना की दुकान जिसने जशोदा को विक्रय किया, उत्तर दिशा में हिराचन्द खाटेड का मकान तथा दक्षिण दिशा में रास्ता है। उक्त कब्जाशुदा आराजी को प्रार्थीगण के पिता ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाणनामा दिनांक 23.04.1979 के क्रय किया था। बाबू खा की मृत्यु दिनांक 19.12.2012 को हो गयी। अप्रार्थी संख्या 1 ने बिना किसी विधिक अधिकार के ग्राम पंचायत से साठ गाठ कर बाले बाले से पुश्तैनी कब्जासुदा खरीदसुदा भुखण्ड का फर्जी पट्टा बनवा दिया। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टे हेतु बिना कोई नोटिस दिये, बिना आपत्तिया आमंत्रित किये, प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। ग्राम पंचायत ने नियम 157ख के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जिसमें नियमों के तहत 50 से अधिक वर्षो से बने मकान का नियमन करने का अधिकार है जबकि संजय कुमार की उम्र 30 वर्ष है इसलिये जैर विक्रय विलेख

अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति॰ जिला कलक्टर, पाली

एबइनिशियों वोइड है। सिविल कोर्ट मारवाड जंक्शन के प्रकरण संख्या 103/2017 छोटी बनाम नूर मोहम्मद एवं पारसमल वगैरा में न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 04.01.2017 में भी यह अंकित है कि प्लॉट प्रार्थीगण के कब्जे में है। अतः प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार कि जाकर विधिविरूद्ध बने जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने पूर्व में लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी को ग्राम पंचायत कण्टालिया द्वारा विधिनुसार पट्टा जारी किया गया है जिसके पडौस पूर्व दिशा में आम रास्ता व चौक, पश्चिम दिशा में वियजराज मलेचा का मकान, उत्तर दिशा में मुलचंद सेठिया तथा दक्षिण दिशा में आम रास्ता आया हुआ है। प्रार्थीगण का उपरोक्त भुखण्ड पर किसी प्रकार का कब्जा व हक अधिकार नहीं है। जैर आराजी के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण के पूर्वजों को राजा महाराजो के समय से ताम्रपत्र जारी किया गया था तथा ग्राम पंचायत ने पुश्तैनी कब्जे के आधार पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जो नियमानुसार सही होने से प्रार्थीगण की जैर निगरानी खारिज फरमावे।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत कण्टालिया द्वारा मिसल संख्या 18/2002–03 संकल्प संख्या 11 दिनांक 20.11.2004 की पालना में अप्रार्थी संजय कुमार पुत्र पारसमल जैन के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 5531 दिनांक 22.12.2004 के विरूद्ध पेश की है। ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टे के विक्रय विलेख हेतु प्रस्तुत आवेदन में प्रार्थी का नाम पारसमल, मनोज कुमार अंकित था जिसे काटकर संजयकुमार पुत्र पारसमल किया है परन्तु आवेदन पर हस्ताक्षर पारसमल के है। आवेदन में आवदेक द्वारा भूमि पर 50–60 वर्षो का आधिपत्य अंकित किया हुआ है परन्तु उक्त आवेदन ग्राम पंचायत के समक्ष कब प्रस्तुत किया गया इस सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित नहीं है। साथ ही आवेदन प्रार्थना पत्र के पीछे जैर आराजी का नक्शा बना हुआ है उस पर भी पारसमल के ही हस्ताक्षर अंकित है। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त आवेदन पारसमल द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसे फर्जी तरीके से काटछाट करके अप्रार्थी संख्या 1 का नाम अंकित कर जैर निगरानी पट्टा जारी किया जो विधिविरूद्ध होने से यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

मिसल के संलग्न बयान फार्म में अंकित बयान साइक्लोस्टाईल में कलमबद्ध किये गये, जिसमें बयानकर्ता द्वारा जैर आराजी पर पुश्तैनी मकान में अप्रार्थी का 50–60 वर्ष से रहना बताया है जबकि बयानकर्ता की उम्र का बयान फार्म में कोई अंकन नहीं है जिससे बयान अनुसार यह सिद्ध नहीं होता है कि जैर आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 का रहवास 50–60 वर्ष पुराना हो। ग्राम पंचायत ने राज. पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157ख के तहत अप्रार्थी को जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। राज. पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख) अनुसार –

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के रू. 200/– दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिये

अति. जिला कलक्टर, पाली

लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा कोई भी ऐसा ठोस दस्तोवजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो उक्त नियम में अंकित तथ्यों को सिद्ध कर सके और न ही अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा इसकी ताईद में कोई ऐसा रेकर्ड प्रस्तुत किया है जो जैर निगरानी पट्टे की विधिकता को समर्थन दे सके जबकि अधिवक्ता प्रार्थीगण ने जैर मकान/भूखण्ड को पुश्तैनी बताया है जिसकी ताईद में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड बेचाणनामा दिनांक 23.04.1979 इसका समर्थन करता है। बेचाणनामा अनुसार प्रार्थीगण के पिता बाबूखा ने भूरे खां से जैर आराजी क्रय की थी। माननीय सिविल न्यायाधीश मारवाड जंक्शन द्वारा प्रकरण बअनवान छोटी बनाम नूर मोहम्मद नियुक्त कमिश्नर की मौका रिपोर्ट दिनांक 04.01.2017 के अनुसार जैर आराजी पर लोहे का गेट लगा हुआ था जो प्रार्थीया ने खोल कर बताया। जिससे स्पष्ट है कि जैर आराजी पर वर्तमान में भी प्रार्थीगण का ही कब्जा है। अर्थात् ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जो नियम 157ख के तहत जारी किया गया है वो विधिविरूद्ध है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टे हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पारसमल का था जिस पर हस्ताक्षर भी पारसमल के ही है, में पारसमल का नाम काटकर अप्रार्थी संख्या 1 का नाम अंकित किया गया है परन्तु आवेदन में हस्ताक्षर पारसमल के ही है। बयान फार्म साइक्लोस्टाईल में कलमबद्ध किये गये जिसमें बयानकर्ता की उम्र का कोई अंकन नहीं है जिससे बयान में अंकित तथ्य जैर आराजी पर पुश्तैनी मकान में अप्रार्थी का 50–60 वर्ष से रहने पर विश्वसनीयता सिद्ध नहीं होती है, न ही अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ऐसे कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिससे अप्रार्थी का पुश्तैनी कब्जा सिद्ध हो सके। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड बेचाणनामा दिनांक 23.04.1979 तथा मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 04.01.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जैर आराजी पर प्रार्थीगण का ही कब्जा है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की अक्षरशः पालना नही कर अप्रार्थी संख्या 01 को नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत नही होने से खारीज योग्य है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत कण्टालिया द्वारा मिसल संख्या 18/2002–03 संकल्प संख्या 11 दिनांक 20.11.2004 की पालना में अप्रार्थी संजय कुमार पुत्र पारसमल जैन के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 5531 दिनांक 22.12.2004 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 3/6/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली